यह कैसे सुनिश्चित करें कि इंटरनेट सभी के लिए सुलभ रहे

प्रश्न पत्र- 3 (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी)
स्रोत- द इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

- डिजिटल प्रौद्योगिकियों द्वारा जीवन सुगमता के लिए डिजिटल नवाचारों को आम जनता हेतु आवश्यक सेवाओं में बदल दिया है।

आज के आलेख में क्या है?

- आज के आलेख में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए नियमों को तैयार करने की आवश्यकता है कि डिजिटल गेटवे (जैसे- GAFAM - Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft) सेवाओं एवं उत्पादों के द्वारपालों में न बदल जाएं।

पृष्ठभूमि

- अधिकांश दैनिक मामलों के लिए इंटरनेट एक आवश्यकता बन गया है और इंटरनेट तक पहुंच को सक्षम करने के लिए पिछले कुछ दशकों में विभिन्न गेटवे सामने आए हैं -
- दूरसंचार सेवा प्रदाता,
- पर्सनल कंप्यूटर और स्मार्टफोन,
- ऑपरेटिंग सिस्टम (OS), आदि।
- हालाँकि, जब ये गेटवे, अन्य गेटवे या नेटवर्क तक पहुँच को सक्षम और प्रतिबंधित करते हैं, तो उनकी भूमिका एक सूत्रधार (गेटवे) से एक नियामक (गेटकीपर) के रूप में बदल जाती है, जिससे इंटरनेट के खुलेपन को खतरा होता है।

- इसलिए, इस क्षेत्र को समान और सभी के लिए सुलभ रखने के लिए एक आचार संहिता या विनियमन की आवश्यकता उत्पन्न होती है।

आशंकाएं

- **भेदभावपूर्ण प्रथाएँ:** भुगतान गेटवे, विज्ञापन विकल्पों, ऐप नीतियों आदि पर प्रतिबंध से लेकर वितरण प्लेटफार्मों (अंतिम उपभोक्ताओं तक पहुँचने के लिए एक सेवा पास के माध्यम से चैनल) की प्रथाओं पर चिंताएँ उठाई गई हैं।
- उदाहरण के लिए, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) के समक्ष रखी गई एक रिपोर्ट में Google Play Store की भुगतान नीति को "अनुचित और भेदभावपूर्ण" पाया गया क्योंकि यह किसी भी प्रकार के इन-ऐप भुगतान या सदस्यता के लिए अपनी भुगतान सेवाओं का उपयोग करने के लिए अनिवार्य है।
- **एकतरफा नियंत्रण:** चूंकि Google और Apple स्मार्टफोन OS के वैश्विक बाजार में हिस्सेदारी पर हावी हैं, इसलिए उनके नियम और शर्तें उन्हें अपने OS पर स्मार्टफोन एप्लिकेशन के प्रकाशन पर एकतरफा नियंत्रण हासिल करने में सक्षम बनाती हैं।
- उदाहरण के लिए, अधिक डिजिटल रूप से संचालित व्यवसायों के कारण, डेवलपर्स को डेवलपर प्रोग्राम नीतियों के अनुरूप अपने अनुप्रयोगों में बदलाव करने के लिए मजबूर होना पड़ता है।

नई डिजिटल प्रौद्योगिकियों के साथ मिलान करने में असमर्थ विनियम:

- आचार संहिता और विनियम नए गेटवे प्रदाताओं के साथ नहीं जुड़ पाते हैं।
- उदाहरण के लिए, स्मार्टफोन के लिए दो प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम (OS) , Google और Apple, हालांकि स्मार्टफोन के लिए गुणवत्ता बेंचमार्क जैसी अच्छी प्रथाओं को लेकर आए, लेकिन उपयोगकर्ताओं और डेवलपर्स दोनों के हितों को संतुलित करने वाले उनके नियामक नियम अपर्याप्त हैं।

भारत का मुद्दा

- **नेट न्यूट्रैलिटी:** 2015 में, जब फेसबुक ने उपयोगकर्ताओं को कुछ ऐप्स और वेबसाइटों को मुफ्त में एक्सेस करने के लिए 'फ्री बेसिक्स' लॉन्च किया, तो भारत सरकार ने नेट न्यूट्रैलिटी पर नीति लाकर इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (ISP) के लिए आचार संहिता लागू की।
- यह नीति निर्धारित करती है कि दूरसंचार नेटवर्कों को उनके माध्यम से गुजरने वाले सभी संचारों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, जो उनकी सामग्री, एप्लिकेशन, सेवा, डिवाइस, प्रेषक/प्राप्तकर्ता के पते से स्वतंत्र हैं।
- इस प्रकार यह सेवा प्रदाताओं को इंटरनेट सामग्री और सेवाओं को अवरुद्ध, थ्रॉटलिंग या उन्हें उच्च गति पहुंच प्रदान करके भेदभाव करने से रोकता है।
- नेट न्यूट्रैलिटी को अपनाने से बिग टेक के खिलाफ भारत का लोकतांत्रिक रुख सुनिश्चित हुआ और ISP द्वारा स्रोत की परवाह किए बिना सभी सामग्री और अनुप्रयोगों तक पहुंच को सक्षम किया गया।

डिजिटल पब्लिक गुड्स (DPGs):

- भारत सरकार ने भी एक अद्वितीय डिजिटल पथ प्रक्षेपवक्र - डिजिटल पब्लिक गुड्स - सामग्री को अपनाया है जो आम तौर पर मुफ्त हैं तथा धारणीय राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल विकास में योगदान करते हैं।
- उदाहरण के लिए, आधार, यूपीआई, डिजिलॉकर, कोविन आदि।

वैश्विक नियम

डिजिटल मार्केट्स एक्ट (डीएमए):

- इस यूरोपीय संघ के विनियमन का उद्देश्य विनियमन के माध्यम से डिजिटल बाजारों को अभिनव और प्रतिस्पर्धा के लिए खुला रखना है।
- यह बिग टेक के वर्चस्व का सामना करता है जो नए और वैकल्पिक प्लेटफार्मों के विकास को रोकता है। इस प्रकार यह सबसे बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्मों द्वारा प्रतिस्पर्धा-रोधी प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन पर रोक लगाता है।
- इसका उद्देश्य इन प्लेटफार्मों के बीच संबंधों को संतुलित करना भी है जो डिजिटल बाजारों तक पहुंच को नियंत्रित करते हैं।

निष्कर्ष

- भारत वायरलेस इंटरनेट (800 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ता) के सबसे बड़े उपभोक्ताओं में से एक होने के नाते, सरकार के लिए समय की आवश्यकता है कि वह एक समान उपयोग क्षेत्र सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त नियम तैयार करे और नवोन्मेषी गेटवे को अत्याचारी गेटकीपर में न बदलने दे।
- साथ ही, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर व्यापक निर्भरता के कारण, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि डिजिटल रूप से सशक्त भारत के लिए इंटरनेट एक खुला और अनुमति रहित प्लेटफ़ॉर्म बना रहे।

मुख्य परीक्षा प्रश्न

प्रश्न- "इंटरनेट एक्सेस और डिजिटल साक्षरता के अधिकार को अपने आप में एक अधिकार के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए।" भारत में डिजिटल असमानताओं के आलोक में चर्चा कीजिए।